सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन धारकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन झारखंड के सन्दर्भ में

अर्थशास्त्र विभाग

में पी- एच- डी

उपाधि हेतु

प्रस्तुत शोध - सारांश

प्रारूप

Approved

वाई बी एन यूनिवर्सिटी
राजाउलातु, नामकुम, रांची
झारखंड 834010 (भारत)
अक्टूबर, ईयर 2020

शोध पर्यवेक्षक
डॉ मनोज कुमार
सह - प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग
संकाय अध्यक्ष, कला एवं मानविकी

Yogendra Murmu
शोध प्रज्ञ
योगेंद्र मुर्मू
नामांकन संख्या 1907011134
अर्थशास्त्र विभाग

अनुक्रमाणिका

परिचय	04
साहित्य की समीक्षा	13
शोध का विवरण	22
अध्ययन का उद्देश्य	23
अध्ययन की परिकल्पना	24
प्रस्तावित पद्धति	25
अपेक्षित परिणाम	29
संदर्भ	30

1. परिचय

सेवानिवृत्ति बचत और पुराने जीवन में वित्तीय स्थिरता के लिए पेंशन योजना एक उत्कृष्ट विकल्प था । जब वे पहली बार काम करना और बचत करना शुरू करते हैं तो सेवानिवृत्त होने का विचार किसी की कल्पना से बहुत दूर होता है। इसलिए, औपचारिक-क्षेत्र में, डिफॉल्ट विकल्प नियोक्ता द्वारा पेश किया गया अधिवर्षिता लाभ का विकल्प है, जो मुख्य रूप से विनियामक दायित्व से उत्पन्न होता है। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक भविष्य निधि का संचालन करता है जिसमें कर्मचारी और उनके नियोक्ता दोनों योगदान करने के लिए बाध्य हैं। वर्कर्स पेंशन प्लान कम वेतन वाले कर्मचारियों (ईपीएस) के लिए पेंशन प्रदान करता है। कुछ म्युचुअल फंड मध्यम से लंबी अवधि के लिए नियमित आय योजना भी प्रदान करते हैं, जबकि बीमा कंपनियां वार्षिकी के आधार पर पेंशन योजना पेश करती हैं। एक साथ होने पर भी, ये संगठन केवल एक आला जनसांख्यिकीय की सेवा करते हैं। यह पहले से है, ज्यादातर लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं, और दूसरा, बहुत से लोग वर्तमान प्रति व्यक्ति आय स्तर पर सेवानिवृत्ति के बारे में चिंता करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहे हैं । अनुमान है कि 138 करोड़ लोग भारत को अपना घर कहते हैं। यह अनुमान लगाया गया था कि 53.5% कामकाजी उम्र की आबादी, या 56.3 करोड़ लोगों के पास 2019-20 में नौकरियां होंगी। फिर भी, केवल 5.9 करोड़ व्यक्ति आधिकारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहाँ वे सामाजिक सुरक्षा के पात्र हैं। अनुमानित 43.2% कार्यबल, या 43.2 करोड़ लोग असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो कानूनी सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच प्रदान नहीं करता है। 2015 में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) लागू होने से पहले, असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र में वैधानिक पेंशन कार्यक्रम का अभाव था। इसके आलोक में , यह लेख वैश्विक पेंशन प्रणाली ढांचे का एक सिंहावलोकन, भारतीय पेंशन प्रणाली का विश्लेषण और आगे के रास्ते पर कुछ प्रतिबिंब प्रदान करता है।

1.2 भारत में सामाजिक सुरक्षा संरचना

भारत की स्वतंत्रता के बाद से, देश की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को अपने कई कार्यक्रमों और नीतियों का एक केंद्रीय लक्ष्य बनाया है। लगभग सभी स्वास्थ्य देखभाल और विकलांगता-संबंधी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ और पहल मूल रूप से युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं। अधिकांश वरिष्ठ अपनी संतानों के साथ रहते थे; इसलिए, वृद्धावस्था सुरक्षा पर पारिवारिक मामले के रूप में चर्चा की गई। बुजुर्गों की चिंताओं को शामिल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं विकसित हुई हैं क्योंकि वरिष्ठ आबादी बढ़ी है और अर्थव्यवस्था स्थानांतरित हो गई है। भारत सरकार ने देश की तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी और बदलते सामाजिक आर्थिक और जनसांख्यिकीय परिदृश्य को देखते हुए अपने सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और कार्यक्रमों में बुजुर्गों के लिए चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भारत में सामाजिक सुरक्षा जाल कई कार्यक्रमों और पहलों से बना है। भारत में, आबादी का केवल एक अंश सरकार की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली द्वारा कवर किया जाता है। भारत के सामाजिक सुरक्षा जाल के व्यापक दायरे में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं:

- पेंशन - सेवानिवृत्ति पेंशन, पारिवारिक पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आदि।
- स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा लाभ
- अयोग्यता लाभ
- महिलाओं को मातृत्व लाभ
- उपहार

संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, अपने नियोक्ताओं के साथ, सरकार द्वारा संचालित कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कवरेज के हकदार हैं; हालाँकि, देश की अधिकांश आबादी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है और इनमें से प्रत्येक योजना में भाग लेने के लिए योग्य नहीं हो सकती है। सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न रूपों के लिए योगदान की आवश्यकताएं एक समान नहीं हैं। सभी व्यवसायों के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए, 10 या

अधिक कर्मचारियों वाले व्यवसायों के लिए दूसरों के लिए, और 20 या अधिक कर्मचारियों वाले व्यवसायों के लिए अन्य लोगों के लिए नियोक्ता योगदान की आवश्यकता होती है।

1.2.1 पेंशन या कर्मचारी भविष्य निधि

रोजगार के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में अधिवर्षिता पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी श्रमिक भविष्य निधि संगठन द्वारा दी जाती है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय का हिस्सा है। भारत के 400 मिलियन के कुल कार्यबल में से , केवल लगभग 35 मिलियन लोगों के पास अब वृद्धावस्था आय सुरक्षा के रूप में वैधानिक सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच है। इन 35 मिलियन लोगों में से, 26 मिलियन भारत के कई सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों (पीएसयू) द्वारा नियोजित हैं, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (पीएसयू) में योगदान करते हैं। 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को श्रमिक भविष्य निधि संगठन योजनाओं में भाग लेना आवश्यक है। जब किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम होता है, तो कंपनी और कर्मचारी दोनों को कर्मचारी भविष्य निधि प्रणाली में योगदान देना आवश्यक होता है; जब वेतन इस सीमा से अधिक हो जाता है, तो योगदान वैकल्पिक होता है। इस घटना में कि किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपये से अधिक है, नियोक्ता का योगदान पहले 15,000 रुपये की देय राशि तक सीमित होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा तीन अलग-अलग योजनाओं की पेशकश की जाती है।

1. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952;
2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995; और,
3. कर्मचारियों की जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976।

1.3 भारतीय पेंशन प्रणाली

जनवरी 2004 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू होने से पहले, सरकारी कर्मचारियों का प्राथमिक पेंशन विकल्प पे-एज-यू-गो परिभाषित लाभ योजना था। रक्षा , नाविक, रेलवे, कोयला खनिक, असम चाय बागान, आदि सभी के अपने अलग पेंशन कार्यक्रम थे, जैसा कि कई अन्य संगठनों ने किया था। साथ में, ये योजनाएं स्तंभ-व्यावसायिक II की पेंशन श्रेणियां कहलाती हैं। निजी क्षेत्र के ज्यादातर कारोबार ईपीएफओ के भविष्य निधि से जुड़ गए हैं। फिर भी, यह ध्यान दिया जा सकता है कि कम आय वाले ईपीएफओ सदस्यों की पेंशन तक पहुंच है। मार्च 2021 तक ईपीएफओ के तहत लगभग 69.2 लाख सेवानिवृत्त और अनुमानित 26 करोड़ सदस्य थे। हालांकि, केवल 4.6 करोड़ सदस्य नियमित योगदान कर रहे थे। पूरा पिलर-I उपलब्ध नहीं है। कुछ विशिष्ट कार्यक्रम, जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS), जो रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है। 200 से नीचे (बीपीएल) 60 या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पिलर I के तहत माना जा सकता है। NSAP के परिणामस्वरूप लगभग 4.2 बिलियन लोगों को सहायता प्राप्त हुई। जीवन बीमा व्यवसाय में लगभग 1.0 करोड़ प्रमुख लाभार्थी हैं; म्यूचुअल फंड उद्योग में लगभग 27 लाख फोलियो; और कोयला खनन जैसे उद्योगों में लगभग 20 लाख भविष्य निधि लाभार्थी। हाल तक तक, स्तंभ I और II के तहत कवरेज का दायरा आरामदायक सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के लिए अपर्याप्त था।

1.3.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

2004 तक नए सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के आवश्यक कार्यान्वयन ने स्तंभ-द्वितीय को बढ़ावा दिया। यह कार्यक्रम एक परिभाषित अंशदान योजना है जो सरकार अपने कर्मचारियों के लिए मेल खाती है। दो राज्य और संघीय सरकारों को छोड़कर सभी एनपीएस के सदस्य हैं। 2009 में, यह सभी अमेरिकी निवासियों के लिए उपलब्ध हो गया, भले ही उनके पास लाभकारी काम खोजने की क्षमता न हो। 18 से 70 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति

NPS खाता बनाने के लिए पात्र था। 2011 में एनपीएस को कारोबारी समुदाय के लिए उपलब्ध कराया गया था। कंपनियां अपने श्रमिकों को ईपीएफओ या एनपीएस प्रदान करने का विकल्प चुन सकती हैं। भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों के अलावा, एनपीएस (ओसीआई) में शामिल होने के लिए अनिवासी भारतीयों का स्वागत है। क्योंकि एनपीएस अब मौजूद है और सभी के लिए सुलभ है, यह तर्क बेकार है। हालांकि निगमों ने आम तौर पर ईपीएफओ का उपयोग किया है, लेकिन अब उनके पास मौजूदा ग्राहकों के लिए ऐतिहासिक धन के हस्तांतरण सहित एनपीएस को पूरी तरह से बदलने का विकल्प है। कंपनियां तेजी से एनपीएस को अपना रही हैं, लेकिन वे अपने कर्मचारियों को पसंद आने पर ईपीएफओ या एनपीएस में भाग लेने की अनुमति दे रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक, व्यावसायिक कर्मचारियों के बीच एनपीएस को अपनाने की दर अभी भी कम है। कमर्शियल फंड मैनेजर एनपीएस की देखरेख करते हैं। पेंशन फंड का मूल्य सालाना मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है; इसलिए, वापसी की दर बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। नतीजतन , इसमें रोजाना उतार-चढ़ाव होता है। जबकि सब्सक्राइबर के निवेश यूनिटाइज्ड होते हैं और यूनिट्स की नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) प्रतिदिन प्रकट होती है, वह हमेशा अपनी होल्डिंग्स के मूल्य के बारे में जानती है।

1.3.2 अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

भारत सरकार ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ जून 2015 में अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत की। APY एक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम है जिसमें 18 से 40 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। लक्षित जनसांख्यिकी में आर्थिक रूप से वंचित, असंगठित और सीमित संसाधनों वाले लोग शामिल हैं। समग्र योजना का लेआउट काफी आकर्षक है। यह पारंपरिक पेंशन और 401(के)-शैली की बचत योजना का मिश्रण है। प्रत्येक प्रतिभागी को अपने पेंशन दायित्वों और लाभों की स्पष्ट समझ है। यह एक जीत-जीत की स्थिति है: दूसरा, यह 60 वर्ष की आयु से शुरू होने वाले प्रति माह 1,000 और 5,000 के बीच आजीवन निश्चित पेंशन प्रदान करता है, फिर से व्यक्ति के निर्णय और संबंधित भुगतान

पर निर्भर करता है। दूसरा, ग्राहक की मृत्यु पर, उसके पति या पत्नी को जीवन भर उसी राशि की पेंशन मिलेगी। अंत में, ग्राहक के पति या पत्नी को उनकी दोनों मौतों पर संचित कोष और ब्याज मिलता है। लॉन्च से, APY ने सालाना औसतन 9.4 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। इस प्रकार, APY केवल एक सेवानिवृत्ति योजना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए बचत का एक साधन भी है। यह पूरी तरह से जोखिम मुक्त है क्योंकि सरकार इसका समर्थन करती है और पीएफआरडीए पेंशन फंड का प्रबंधन करता है। योजना के लिए साइन अप करने के बाद, भुगतान करते रहना महत्वपूर्ण है ताकि आप इसकी पेशकश की हर चीज का लाभ उठा सकें। ग्राहक मासिक, त्रैमासिक, या अर्धवार्षिक भुगतानों के बीच चयन कर सकता है, और पेंशन राशि को किस्त में संबंधित परिवर्तनों के साथ बढ़ाया या घटाया जा सकता है । यदि कोई सदस्य अपनी सदस्यता को बनाए रखने में असमर्थ है, तो उसे उसके योगदान का पूरा रिफंड और ब्याज मिलेगा। परिणामस्वरूप, APY में प्रवेश करना और उससे बाहर निकलना सरल है और इसके लिए थोड़े प्रयास की आवश्यकता होती है।

1.4 वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाएँ

1.4.1 वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)

कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करके वरिष्ठ नागरिकों की खुशी को बढ़ाना है कि उनके पास सुरक्षित रहने के क्वार्टर, पौष्टिक भोजन, चिकित्सा उपचार, सामाजिक गतिविधियां और आनंददायक शगल जैसी आवश्यकताएं हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस पहल का प्रभारी है । इस कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण के लिए कई प्रकार की वरिष्ठ देखभाल सुविधाएं जैसे सहायक रहने की सुविधा, डे केयर सेंटर , मोबाइल मेडिकल यूनिट, बुजुर्ग विधवाओं के लिए बहु-सुविधा देखभाल केंद्र आदि आवेदन कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाएं/स्थानीय प्राधिकरण, गैर-सरकारी स्वयंसेवी समूह आदि कार्यान्वयन एजेंसियों के उदाहरण हैं जो योजना के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र हैं। IPOP फंड राज्यों को नहीं बल्कि काम

करने वाली संस्थाओं को दिया जाता है। इस कार्यक्रम के साथ, सरकार 400 से अधिक सेवानिवृत्ति समुदायों को धन उपलब्ध करा रही है।

1.4.2 राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY)

बीपीएल श्रेणी में जिन वरिष्ठ नागरिकों को उम्र संबंधी समस्याएं हैं, जिनमें खराब दृष्टि, श्रवण हानि, दांतों की हानि, या चलने में असमर्थता शामिल है, वे आरवीवाई कार्यक्रम के माध्यम से सहायता और सहायक जीवित उपकरण प्राप्त करने के पात्र हैं। अर्हता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को बेंत, बैसाखी, वॉकर, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम दांत और चश्मा सहित विभिन्न प्रकार की सहायता और सहायक उपकरण मिलते हैं। भारत में, इस कार्यक्रम की निगरानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की जाती है। कार्यक्रम केंद्र सरकार के वृद्ध नागरिक कल्याण कोष द्वारा समर्थित है। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण कंपनी (ALIMCO), सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए काम करने वाली एक सरकारी एजेंसी, कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने की देखरेख करती है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2019-20 तक, इस पहल से 260 जिलों में इसके कार्यान्वयन के माध्यम से पूरे देश में 5,20,000 लोगों को लाभ हुआ होगा।

1.4.3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्होंने बीमारी, वृद्धावस्था, या विकलांगता के कारण एक ब्रेडविनर खो दिया है। यह उस सहायता के अतिरिक्त है जो इन नागरिकों को उनकी संबंधित राज्य सरकारों से पहले से ही मिल रही है। 60 वर्ष से अधिक आयु के वे लोग जो निम्न-आय वाले परिवारों के सदस्य हैं, जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। 60-79 वर्ष की आयु वालों को 200 रुपये की मासिक केंद्रीय सहायता मिलती है, जबकि 80 और उससे अधिक आयु वालों को 500 रुपये की मासिक केंद्रीय सहायता मिलती है।

1.4.4 वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई)

भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इस कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। पहली बार 2003 में पेश की गई, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) को 2014 में फिर से शुरू किया गया था। ये बुजुर्गों के लिए पेंशन योजनाएं हैं जो वादा करती हैं कि आपके द्वारा लगाए गए पैसे में से कम से कम कुछ पैसा हर महीने आपको वापस किया जाएगा। सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से निवेश किए गए धन पर 9% की वापसी की गारंटी देती है, और एलआईसी को इस गारंटीकृत वापसी और कार्यक्रम के निवेश पर इसकी वास्तविक उपज के बीच का अंतर प्राप्त होता है। VPBY 2003 या VPBY 2014 कार्यक्रमों के लिए भविष्य की सदस्यताएँ स्वीकार नहीं की जा रही हैं। लेकिन, योजनाओं के तहत 9 फीसदी रिटर्न देने के सरकार के वादे को पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान बेचे गए प्लान के लिए पूरा किया जा रहा है।

1.4.5 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वरिष्ठ नागरिक अपने बाद के वर्षों में वित्तीय स्थिरता रखते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएनवीवीवाई) की स्थापना मई 2017 में की गई थी। भारतीय जीवन बीमा कंपनी (एलआईसी) वीपीबीवाई के इस सुव्यवस्थित संस्करण का उपयोग कर रही है। 1,50,000 रुपये और 7,50,000 रुपये के शुरुआती एकमुश्त भुगतान के बदले में, कार्यक्रम के प्रतिभागियों को मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक भुगतान के साथ प्रति वर्ष 8% की निश्चित दर के आधार पर पेंशन प्राप्त होगी । या सालाना। योजना की समय सीमा 10 वर्ष है।

2. साहित्य की समीक्षा

गोंजालेस, सारा और फर्नांडीज, जुआन (2022) निजी पेंशन योजना सदस्यता को प्रोत्साहित करने वाले पेंशन सुधारों को हाल के दशकों में विभिन्न यूरोपीय सरकारों द्वारा अधिनियमित किया गया है। दुर्भाग्य से, हम अभी भी समय के साथ ऐसे कार्यक्रमों की स्थिरता के बारे में बहुत कम जानते हैं या वे विभिन्न जनसांख्यिकी के बीच अधिक लोकप्रिय हैं या नहीं। हम दस यूरोपीय देशों (ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड) में यूरोप में स्वास्थ्य, उम्र बढ़ने और सेवानिवृत्ति के सर्वेक्षण (शेयर) की छह तरंगों से डेटा का विश्लेषण करते हैं । इन योजनाओं की सामाजिक चयनात्मकता और समय के साथ उस चयनात्मकता में संभावित बदलावों पर प्रकाश डालें। हम कर्मचारियों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों में लिंग, शिक्षा, आयु, सामाजिक वर्ग, आय और जोखिम वरीयता असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। परिणाम सामाजिक आर्थिक समूहों में भागीदारी दरों में पर्याप्त और स्थायी अंतर दिखाते हैं। उच्च सेवा व्यवसायों में श्रमिकों और उच्च आय वाले लोगों की दर बहुत अधिक थी, जैसा कि भविष्यवाणी की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि 2006 और 2021 के बीच इन अंतरालों की कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई थी। अधिक उदार राज्य पेंशन वाले देशों के विपरीत, अधिक विकसित निजी पेंशन प्रावधान वाली स्थितियों में सामाजिक चयनात्मकता लगातार कम नहीं होती है।

टैम्बोरिनी , क्रिस्टोफर और रेज़निक (2022) इस अध्ययन ने सामाजिक सुरक्षा सेवानिवृत्ति भुगतान में और पीढ़ियों के भीतर पैटर्न की जांच की, इस बात पर ध्यान देने के साथ कि समय के साथ पेंशनरों के आजीवन भुगतान उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार कैसे भिन्न होते हैं। हमने कोहोर्ट-विशिष्ट अनुमानों का एक सेट बनाया है जो अर्ली बेबी बूम (1945-1954) से जनरेशन एक्स (1965-1974) तक फैले सेवानिवृत्त लोगों के लिए मासिक और आजीवन सामाजिक सुरक्षा सेवानिवृत्ति लाभों का अनुमान लगाते हैं, जो प्रतिनिधि सर्वेक्षण डेटा से जुड़े एक गतिशील माइक्रोसिमुलेशन मॉडल का उपयोग करते हैं। प्रशासनिक रिकॉर्ड। परिणाम

हमने देखा कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अपेक्षित मासिक और आजीवन लाभ अलग-अलग होते रहते हैं, विशेष रूप से जीवन भर के आधार पर, जो बढ़ते सामाजिक आर्थिक विभाजन का संकेत देता है। यह असमानता निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों के बीच लाभ के स्तर में कमी और अमीर तबके के बीच बढ़ते रुझान से संबंधित है। असमान मृत्यु दर में वृद्धि धन के वितरण में बदलाव से जुड़ी हुई है, लेकिन यह संभव है कि अन्य चर, महिलाओं के श्रम और संबंध इतिहास में बदलाव और बढ़ती आय असमानता भी एक भूमिका निभाए। चर्चा अमेरिकी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के वितरण में परिवर्तन मृत्यु दर के अंतर को बढ़ाकर लाया जा सकता है। अंतर मृत्यु दर और अन्य जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की सेटिंग में, माइक्रोसिमुलेशन तकनीक इस बात पर प्रकाश डालती है कि भविष्य के पुराने अमेरिकियों के बीच मासिक और आजीवन लाभ वितरण में सामाजिक आर्थिक असमानता कैसे विकसित हो सकती है।

मोवोसी , फैबियन और चार्ल्स (2022) यह अध्ययन युगांडा की वृद्ध आबादी के पेंशन और सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर पर प्रभाव प्रदान करता है। शोध ने प्रश्नावली का उपयोग करके 236 सेवानिवृत्त लोगों का सर्वेक्षण किया। लिंग, वैवाहिक स्थिति, आयु, आय और शिक्षा का स्तर सभी को जनसांख्यिकीय निर्धारक माना जाता था। अनुसंधान यह निर्धारित करने के लिए कई प्रतिगमन का उपयोग करता है कि जनसांख्यिकीय चर का सेवानिवृत्ति की तैयारी और आर्थिक स्थिति पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है। सेवानिवृत्ति और वरिष्ठों की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए योजना केवल सेवानिवृत्त लोगों की शिक्षा की डिग्री और मासिक आय से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है। इस शोध के निष्कर्ष युगांडा के सरकारी अधिकारियों के लिए मुआवजा बढ़ाने के पक्ष में ठोस सबूत प्रदान करते हैं। सरकार को शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखने के लिए संघीय अधिकारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन आवंटित करने के बारे में भी सोचना चाहिए।

खान, आशमा और दहिया, मंजू (2021) एक व्यक्ति का जन्म, बचपन, किशोरावस्था, परिपक्वता और बुढ़ापा उसके जीवन के मील के पत्थर होते हैं। बेहतर स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा मनुष्य के औसत जीवनकाल को लंबा करती है। दुनिया भर के आंकड़े लगातार बढ़ती बुजुर्ग आबादी की ओर इशारा करते हैं। "आबादी उम्र बढ़ने" शब्द इस घटना का वर्णन करता है। बुजुर्ग आबादी, इसकी अपेक्षाकृत कम साक्षरता दर के साथ, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और सामाजिक समर्थन के क्षेत्र में अनूठी चुनौतियों का सामना करती है। साठ प्रतिशत से पचहत्तर प्रतिशत बुजुर्ग वित्तीय सहायता के लिए ज्यादातर अपनी संतानों पर निर्भर हैं। कई सेवानिवृत्त लोगों के लिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम से आय महत्वपूर्ण है। वर्तमान शोध इस बात की जांच करता है कि वरिष्ठ नागरिकों को किस हद तक सूचित किया जाता है और उनके लिए उपलब्ध कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/सुविधाओं, अधिकारों और विनियमों का उपयोग किया जाता है। भारतीय राज्य हरियाणा में हिसार और नूंह जिलों के दो सौ निवासियों से यादृच्छिक रूप से पूछताछ की गई। निष्कर्षों के अनुसार, नूंह के उत्तरदाताओं (94.0%) और हिसार के उत्तरदाताओं (98.0%) का एक बड़ा हिस्सा स्वतंत्रता और न्याय के अपने अधिकारों के साथ-साथ शोषण से मुक्त होने के अपने अधिकारों (96.0%) के बारे में जागरूक है। नूंह की तुलना में हिसार में इन सुरक्षाओं की उच्च स्तर की समझ है। दोनों क्षेत्रों में, 100% वरिष्ठ नागरिकों को उनकी वृद्धावस्था पेंशन के बारे में सूचित किया गया था और वे इसे प्राप्त करने में सक्षम थे।

कुमार, पुष्पेंद्र और सिंह, दीपक (2020) यह पेपर भारत के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) को देश के सभी श्रमिकों तक विस्तारित करने के पक्ष में मजबूती से बोलता है। इसके लिए कई मोर्चों पर प्रयास की आवश्यकता होगी, जिसमें तकनीकी मुद्दों को सुलझाना, एक बहुत ही तरल श्रम बल का पंजीकरण करना, धन का पता लगाना और एक "दहलीज" संरचना के तहत विभिन्न सार्वजनिक अभिनेताओं से तुलनीय परियोजनाओं को एकीकृत करना शामिल है। लेखक सार्वभौमिक ईपीएफ और ईएसआई को

सुरक्षा के अन्य रूपों के साथ जोड़ने का आहवान करते हैं, जिसे वे "थ्रेशोल्ड सुरक्षा" कहते हैं। सुरक्षा के इन रूपों में खाद्य और पोषण सुरक्षा; ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्य सुरक्षा; नकद सहायता; और आवास, आसपास की बस्ती और कार्यस्थल में सुधार। सभी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और प्रणालियों में प्रवासियों के लिए सुवाहयता प्रावधान शामिल होना चाहिए। ऐसा करने के लिए संसाधनों की अंतरराज्यीय सुवाहयता और तकनीकी प्लेटफार्मों में निवेश, अधिवास आवश्यकताओं द्वारा बनाए गए बहिष्करणों पर काबू पाने, गैर-भेदभाव और समान नागरिकता के सिद्धांत को बनाए रखने, प्रवासियों द्वारा किए गए योगदान को पहचानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निधियों की मूलभूत संरचना पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। देश की वृद्धि और विकास।

एलेस्केरोवा , यूलिया और सकोव्स्का (2020) इस लेख का उद्देश्य इसके चल रहे सुधार और विकास का समर्थन करने के लिए, ग्रामीण आबादी के लिए पेंशन बीमा के सैद्धांतिक और व्यावहारिक आधारों पर अधिक गहन शोध करना आवश्यक है। पेंशन बीमा को एक जटिल श्रेणी माना जाता है, और इसकी व्याख्या की विविधता का अर्थ है कि यह अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है और अध्ययन का विषय बना हुआ है, यूक्रेनी और अंतरराष्ट्रीय शिक्षाविदों दोनों द्वारा आयोजित कई वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के विश्लेषण के अनुसार। दुनिया के अधिकांश देश हमारे जैसे ही पेंशन प्रणाली के मुद्दों का सामना कर रहे हैं। फिर भी पेंशन सुधारों ने उन्हें सफल होने में मदद की है। अपनी अनूठी जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर, प्रत्येक राष्ट्र ने अपनी पेंशन प्रणाली स्थापित करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया। फिर भी, किसी भी पेंशन प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य सेवानिवृत्त लोगों को गरीबी से बचाना और ऐसी पेंशन प्रदान करना है जो वृद्धावस्था में जीवन का आरामदायक स्तर प्रदान कर सके। यह दिखाया गया है कि देश में एक सफल पेंशन सुरक्षा रणनीति को लागू करने के लिए, पेंशन बीमा प्रणाली में सामाजिक गारंटी के निष्पादन को

सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की निर्भरता और प्रभावकारिता बढ़ाने के तरीकों की पहचान करना महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक है।

गोस्वामी, श्वेता और सिंह (2020) इस अध्ययन का लक्ष्य यह निर्धारित करना है कि क्या हरियाणा के वरिष्ठ नागरिक उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के बारे में जागरूक हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं। हरियाणा, भारत में मेडिकल छात्रों ने शहरी और ग्रामीण दोनों सेटिंग्स में अपने फील्डवर्क का एक पार-अनुभागीय, वर्णनात्मक अवलोकन अध्ययन किया। हमने 234 वरिष्ठों (60+ आयु) का सर्वेक्षण किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे कितने परिचित थे और कितनी बार उन्होंने अपने संबंधित देशों और राज्यों के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का उपयोग किया। डेटा प्रदर्शित करने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। अध्ययन आबादी के ज्ञान का स्तर 6.8% से 85.5% तक भिन्न था। अधिकांश लोग बुजुर्गों (85.5%) के लिए पेंशन कार्यक्रमों के बारे में जानते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में महानगरीय क्षेत्रों की तुलना में ज्ञान की दर अधिक थी। वृद्ध आबादी में, 32.1% ने शहरी सार्वजनिक परिवहन पर 65 और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध छूट का उपयोग किया। डिस्पोजेबल आय वाले सेवानिवृत्त लोगों का विशाल बहुमत (94.70%) कम से कम एक योजना से परिचित और लाभान्वित थे। जागरूकता और उत्थान किसी भी सेवा के मूल्यांकन के मांग पक्ष की एक तस्वीर पेश करते हैं। धीमी प्रशासनिक प्रक्रियाएं और बुजुर्गों में कम गतिशीलता किसी भी सुरक्षा योजना की प्रभावशीलता को कम कर सकती है, भले ही जागरूकता अधिक हो।

ओटेशोवा , अल्मागुल और प्रोडानोवा (2010) इस लेख का उद्देश्य यह जांचना है कि कजाकिस्तान गणराज्य की सरकार देश की बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से अपने सामाजिक कार्यक्रमों को कैसे संचालित करती है। सामाजिक व्यवस्था में सुधार का भी मूल्यांकन किया गया और सुझाव दिए गए। समाज के हर क्षेत्र पर राजनीति और सरकार के प्रभाव की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है। अनुसंधान ने इसके विकास की

परीक्षा के आधार पर बाजार अर्थव्यवस्था की सामाजिक क्षेत्र प्रणाली को बढ़ाने के लिए संभावित तरीकों का आकलन किया। इस जांच ने प्राकृतिक विज्ञान के मानक संज्ञानात्मक उपकरणों का उपयोग किया, जिसमें द्वंद्वात्मक विश्लेषण और संश्लेषण, प्रणाली और कार्यात्मक दृष्टिकोण, सामान्यीकरण, तुलना और सादृश्य, साथ ही अनुभवजन्य अनुसंधान तकनीक शामिल हैं। लेख यूनाइटेड किंगडम में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या की जांच करता है और अपराध को कम करने और पर्यावरण की रक्षा करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति और आवास में निवेश सहित कई समाधानों का प्रस्ताव करता है। इस शोध के निष्कर्षों का उपयोग नीति निर्माताओं द्वारा सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ जनसंख्या और विकास, लिंग और परिवार नीति में सुधार के लिए किया जा सकता है। अनुसंधान में निम्नलिखित शामिल हैं: जनसंख्या की सामाजिक सुरक्षा के विकास के लिए पद्धतिगत दृष्टिकोण के विकास में नई दिशाओं और व्यावहारिक सिफारिशों का औचित्य; इसकी जनसांख्यिकीय प्रभावशीलता के मापदंडों के औचित्य से संबंधित जनसंख्या के सामाजिक संरक्षण के कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल का विकास; और आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता के वर्तमान नियमों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या के सामाजिक संरक्षण की सैद्धांतिक नींव का विकास।

दुर्गम , राजशेखर (2020) सामाजिक सुरक्षा से संबंधित भारत सरकार (GOI) के दो कार्यक्रमों का यहां मूल्यांकन किया जाता है: RSBY और MGNREGS। पूर्व एक योजना है, जबकि बाद वाला कानून द्वारा संरक्षित अधिकार है। लेख में दो प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों, आरएसबीवाई और आयुष्मान भारत की उनके घोषित लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता पर प्रकाश डाला गया है। दूसरी तरफ, MGNREGS के कई अच्छे प्रभाव हैं, नौकरी सृजन और ग्रामीण जीवन के अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि महिलाओं की समानता, खपत में वृद्धि, और गरीबों के लिए कई फायदे, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मूल के लोगों के लिए। इस पहल से माओवादियों के गढ़ों में आर्थिक पलायन और हिंसा पर काबू पाने में भी मदद मिली है। अध्ययन का अंतिम खंड भारत में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी मूलभूत कठिनाइयों

की रूपरेखा तैयार करता है। लेख में पाया गया है कि एकमात्र यथार्थवादी रणनीति वह है जो बड़ी, अधिक सामाजिक रूप से परिवर्तनकारी और अधिकार-आधारित हो।

देवदासन , प्रदीप (2018) यहाँ शोध वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों है। इस शोध के निष्कर्ष थोटाबेंगरे , मंगलुरु तालुक, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक राज्य, भारत के टोला में मछुआरों के जीवन पर सामाजिक सुरक्षा नीतियों के प्रभावों का विश्लेषण प्रदान करते हैं। अनुसंधान मछुआरे के लिए उपलब्ध कई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के कवरेज और लाभ का विश्लेषण करता है । स्थानीय मछुआरे संघीय और राज्य कल्याण कार्यक्रमों से किस हद तक परिचित हैं, इसका भी एक ईमानदार प्रयास किया जा रहा है। मछुआरा समुदाय के समावेशी विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए , यह पत्र सांसदों और मत्स्य विभाग के लिए लाभ कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए कदमों की पेशकश करता है।

श्रीवास्तव, अशोक और कांडपाल , एसडी (2014) भारत की वरिष्ठ आबादी में महत्वपूर्ण वृद्धि ने वहां पेंशन कार्यक्रमों को मजबूत करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। बुजुर्गों की देखभाल की बढ़ती लागत और पारंपरिक पारिवारिक बंधनों के कमजोर होने के कारण, भारत सरकार ने बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम और लाभ लागू किए हैं। इस शोध का लक्ष्य वरिष्ठ आबादी की जनसांख्यिकी के बारे में अधिक जानना है, अर्थात् उनका ज्ञान और सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा जैसे सरकारी कार्यक्रमों का उपयोग। जंगल में घटनाओं की क्रॉस-अनुभागीय, वर्णनात्मक जांच। अनुपात और प्रतिशत। परिणामः प्रत्येक तीन घरों में एक वरिष्ठ व्यक्ति रहता था। 35.4% वरिष्ठ जनसंख्या ने कभी भी माध्यमिक विद्यालय पूरा नहीं किया है। वृद्ध महिलाओं में 49.5% विधवाएँ थीं। हालांकि 74.6 प्रतिशत सेवानिवृत्त लोगों ने कहा कि वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम से परिचित थे, केवल 45.4 प्रतिशत ने भाग लिया। सिर्फ 34.9 फीसदी वरिष्ठ और 65 और उससे अधिक उम्र के 32.1 फीसदी को ट्रेन टिकट पर छूट और क्रमशः बैंक और डाकघर बचत पर बढ़ी हुई ब्याज दरों के बारे में पता था। फिर भी, सिर्फ 27.8% ने रियायती ट्रेन टिकटों

का उपयोग किया और 10.1% ने बैंक या डाकघर में अपनी बचत पर ब्याज अर्जित करने के अवसर का लाभ उठाया। एक प्रतिशत या उससे कम वरिष्ठ नागरिकों ने आयकर क्रेडिट का उपयोग किया। वर्तमान नीति दिशानिर्देशों की तुरंत समीक्षा और अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि वे बुजुर्गों की बेहतर सेवा और लाभ उठा सकें। बुजुर्गों के लिए लक्षित कार्यक्रमों और लाभों का सामुदायिक स्तर पर बेहतर कार्यान्वयन होना चाहिए ।

चोपड़ा, एस. और पुडुसेरी , जे. (2014) 2.6 करोड़ से अधिक वृद्ध, अपंग और विधवा भारतीय वित्तीय सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर बहुत अधिक निर्भर हैं। 10 राज्यों की 2013 की समीक्षा के अनुसार, पेंशन प्रणाली अच्छी तरह से काम कर रही है। सूचना के एक बड़े निकाय द्वारा समर्थित यह धन पर्याप्त रिसाव के बिना अपने इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंच रहा है। इसके प्राप्तकर्ताओं के जीवन में पेंशन की प्रासंगिकता का अंदाजा उनके उपभोग की आदतों से लगाया जा सकता है। कार्यक्रम की प्रभावशीलता के विश्लेषण से योजना के छोटे आकार, अप्रभावी संवितरण पद्धति, उच्च संग्रह लागत और असंगत भुगतान अनुसूची के बारे में चिंताएं उभरती हैं।

हारिस, अस्माडी और सैद, आर। (2012) इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि क्यों कुछ कर्मचारी जल्दी सेवानिवृत्त होने का निर्णय लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की पेंशन प्रणाली अनुसंधान का प्राथमिक विषय है। पारंपरिक सेवानिवृत्ति की आयु और प्रारंभिक सेवानिवृत्ति की आयु दोनों में सामाजिक सुरक्षा लाभ की गणना सिमुलेशन पद्धति का उपयोग करके की जाती है। सामाजिक सुरक्षा का धन और उपार्जन दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें सिमुलेशन डेटा से प्राप्त किया जा सकता है। दो कारकों और जल्दी सेवानिवृत्त होने के विकल्प के बीच की कड़ी की गणना वैवाहिक स्थिति, लिंग, शिक्षा स्तर, अनुभव और उम्र सहित अतिरिक्त व्याख्यात्मक चर के संयोजन के साथ लॉजिस्टिक दृष्टिकोण का उपयोग करके की जाएगी। निष्कर्ष बताते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेंशन योजना का प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव से अधिक महत्वपूर्ण है। इस शोध से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेंशन योजनाएँ

सार्वजनिक कर्मचारियों को जल्दी सेवानिवृत्ति स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करने में अप्रभावी हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के आकार को कम करने और बाद में नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए एक नीतिगत हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

बिस्सोनेट, एल और वैन सोस्ट, आर्थर (2012) डच पेंशन प्रणाली के प्रमुख स्तंभों के रूप में, हम राज्य और व्यावसायिक पेंशन की भविष्य की उदारता पर 25 वर्ष और ऊपर की डच आबादी की अपेक्षाओं की जांच करते हैं। व्यावसायिक पेंशन और वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा लाभों की क्रय शक्ति में परिवर्तन, वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्रता आयु, और अब से दस या बीस वर्ष की औसत सेवानिवृत्ति आयु के बारे में व्यक्तियों की व्यक्तिपरक अपेक्षाओं की मासिक के साथ घूर्णन पैनल डेटा का उपयोग करके जांच की जाती है। 2006 से 2012 तक अवलोकन। हम उच्च शिक्षा और उच्च आय वाले समूहों के साथ अधिक उदास दृष्टिकोण वाले सामाजिक आर्थिक श्रेणियों में अपेक्षाओं में पर्याप्त विषमता देखते हैं। आर्थिक और वित्तीय संकट की शुरुआत से, हम पाते हैं कि उम्मीदें लगातार अधिक नकारात्मक हो गई हैं, जो पेंशन उदारता को सीमित करने वाले परिवर्तनों की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए है।

गिनीकेन , वाउटर (2009) यह लेख प्रदर्शित करता है कि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, अन्य आर्थिक और सामाजिक मानवाधिकारों के साथ मिलकर, विश्व स्तर पर न्यूनतम जीवन स्तर स्थापित करने के प्रयास में एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम करेगा। अधिक से अधिक राष्ट्र सामाजिक सुरक्षा के अधिकार की प्राप्ति को वास्तविकता बनाते हुए, सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच का विस्तार करने में प्रगति कर रहे हैं। यह पेपर प्रदर्शित करता है कि कम आय वाले देशों के लिए भी विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा तल के लिए प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन संभव है। इसके बाद यह पेपर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा हाल ही में किए गए कुछ उपायों पर चर्चा करता है और जांच करता है कि मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक सामाजिक आर्थिक तल को बेहतर तरीके से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यह

कई बदलावों की सिफारिश करता है जो मानव अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की दक्षता को बढ़ा सकते हैं। उनके निष्कर्षों के अनुसार, ऐसा दृष्टिकोण 2015 के बाद विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए वैश्विक रणनीतियों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

राव, माधव (2005) अधिकांश सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सामाजिक सहायता की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ऐसे "सुरक्षात्मक" और "प्रचारक" कार्यक्रम भी हैं जिनका उद्देश्य क्रमशः "लोगों की तत्काल आर्थिक आवश्यकता" और "निर्वाह गरीबी" को पूरा करना है। . फिर भी, सेवानिवृत्ति आय और उत्तरजीवी लाभ के लिए संगठित श्रमिक वर्ग के मौजूदा विकल्प उनके अक्षम निधि प्रबंधन, अपर्याप्त कवरेज, और सेवानिवृत्त लोगों को लाभ प्रदान करने में देरी के लिए आग की चपेट में आ गए हैं। हाल के वर्षों में सार्वजनिक रूप से प्रशासित पेंशन प्रणालियों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और लागत-प्रभावशीलता की परीक्षा हुई है। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण (एलपीजी) के वर्तमान 'विकास मॉडल' के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग औपचारिक क्षेत्र से चले गए हैं, जहां सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां मौजूद थीं और अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही थीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत की एकमात्र सरकारी एजेंसी है जो "वृद्धावस्था आय, विकलांगता, और उत्तरजीवी लाभ कार्यक्रम" प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, हालांकि इन सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रहने के कारण इसे भारी आलोचना झेलनी पड़ी है।

3. शोध का विवरण

झारखंड राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो गरीब वर्ग के लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के तहत पेंशन धारकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन इस समय बहुत आवश्यक है।

इस अध्ययन के माध्यम से, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन धारकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा। इस अध्ययन में लोगों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू संरचना जैसे महत्वपूर्ण प्रभावों का भी विश्लेषण किया जाएगा।

यह अध्ययन सामाजिक न्याय, समानता और इंसानी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे सरकार और संबंधित संगठनों को यह जानने में मदद मिलेगी कि कौन से क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है और अत्यंत गरीब लोगों को सही रूप से सहायता प्रदान की जा सकती है।।

4. अध्ययन का उद्देश्य

झारखंड के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशनरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के समाजशास्त्रीय अध्ययन के उद्देश्यों को निम्नानुसार बताया जा सकता है:

1. झारखंड के सन्दर्भ में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशनधारियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना। अध्ययन का उद्देश्य पेंशनभोगियों की जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं, जैसे आयु, लिंग, आय, शिक्षा, व्यवसाय और पारिवारिक संरचना का विश्लेषण करना है।
2. अपने लक्षित समूहों को पेंशन योजनाओं के वितरण में पेंशन प्रणाली की संगठनात्मक संरचना का अध्ययन करना।
3. सामाजिक पेंशन धारकों की समस्याओं की पहचान करना एवं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव देना।
4. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन धारकों की संख्या और उनके लिए अलग-अलग योजनाओं का विश्लेषण करना।
5. योजनाओं की प्रभावों की जांच करना जैसे यह कि योजनाएं उन्हें किस तरह से सहायता प्रदान करती हैं और क्या उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है।
6. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन धारकों के लिए सामाजिक न्याय और समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
7. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन धारकों की संख्या और उनके लिए अलग-अलग योजनाओं का विश्लेषण करना।
8. योजनाओं की प्रभावों की जांच करना जैसे यह कि योजनाएं उन्हें किस तरह से सहायता प्रदान करती हैं और क्या उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है।
9. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन धारकों के लिए सामाजिक न्याय और समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

5. अध्ययन की परिकल्पना

परिकल्पना 1

H0: झारखंड में पेंशन धारकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की कोई खास आवश्यकता नहीं है।

Ha : झारखंड में पेंशन धारकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की महती आवश्यकता है।

परिकल्पना 2

झारखंड में वृद्धावस्था पेंशनभोगी से संबंधित सामाजिक पेंशन धारकों की आजीविका पर सामाजिक सुरक्षा नीति के डिजाइन की प्रभावकारिता का कोई महत्वपूर्ण समान प्रभाव नहीं है।

झारखंड में वृद्धावस्था पेंशनभोगी से संबंधित सामाजिक पेंशन धारकों की आजीविका पर सामाजिक सुरक्षा नीति के डिजाइन की प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण समान प्रभाव पड़ता है।

परिकल्पना 3

H0: सामाजिक पेंशन का कोई महत्वपूर्ण गुणक प्रभाव नहीं है।

Ha : सामाजिक पेंशन के महत्वपूर्ण गुणक प्रभाव होते हैं।

परिकल्पना 4

H0: अपेक्षित और देखे गए परिणामों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

Ha : अपेक्षित और देखे गए परिणामों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है।

6. प्रस्तावित पद्धति

6.1 पद्धति

वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुभवजन्य साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए "पूछताछ के तरीके" का उपयोग किया जाता है। सांख्यिकीय दृष्टिकोण जैसी तकनीकों का उपयोग करके निष्पक्ष तरीके से डेटा संग्रह और विश्लेषण किया जाएगा। झारखंड शहर में सामाजिक पेंशन धारकों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों की केस स्टडी दृष्टिकोण का उपयोग करके गहराई से जांच की जाती है। इस गहन जांच के लिए प्रश्नावली और संरचित साक्षात्कारों का उपयोग करके जानकारी एकत्र की गई थी। शोधकर्ताओं ने व्यक्तिगत महत्व पर ध्यान दिया कि सामाजिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं ने अपने स्वयंसेवी कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस वजह से, शोधकर्ता ने सामाजिक संरचना और इसकी सामाजिक कल्याण नीतियों, या अधिक सटीक रूप से, सामाजिक पेंशन प्राप्त करने वालों की आर्थिक भलाई पर सामाजिक परिवर्तन के परिणामों के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त की।

6.2 नमूना

विशेष रूप से, शोधकर्ता को यह जानने की आवश्यकता थी कि वे पूरी आबादी का कितना बड़ा नमूना प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अनुसंधान विधियों के साहित्य से परामर्श किया और इसका पता लगाने के लिए नमूना सूत्र का उपयोग किया। 2020-21 की समय सीमा में नमूने लिए जाएंगे। शहर में सामाजिक सेवानिवृत्त लोगों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा संक्षेप में 2018-2019 में बेंगलुरु शहरी जिले के एक अध्ययन से परामर्श किया गया था। वार्षिक रिपोर्ट में ऐसा डेटा होता है। 31.03.2019 तक कुल 128464 पेंशनभोगी थे, उन आंकड़ों के अनुसार, जिनमें IGNOAP, DWP, और PHP (75% या अधिक की विकलांगता रेटिंग वाले लोगों के लिए) से लाभ प्राप्त करने वाले शामिल थे।

यह नमूना आकार की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूत्र का एक उदाहरण है। नमूना सूत्र का उपयोग करने से पहले विभिन्न विचारों को क्रियान्वित किया जाएगा। मौलिक विचार, जैसे त्रुटि का मार्जिन, विश्वास अंतराल और जनसंख्या का आकार।

नियम

सीआई = सीवी एक्स एसडी

नतीजतन, हम शहरी झारखंड में 600 सामाजिक पेंशनरों का एक नमूना चुनेंगे, जिसमें IGNOAP से 250, DWP से 250 और PHP से 100 शामिल हैं।

6.3 डेटा संग्रह

डेटा प्राथमिक और द्‌वितीयक दोनों स्रोतों से एकत्र किया जाएगा।

6.3.1 प्राथमिक स्रोत:

तीन योजनाओं (इंदिरा गांधी वृद्‌धावस्था पेंशन [IGOAP]; निराश्रित विधवा पेंशन योजना [DWP]; और शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन योजना [PHP]) से छह सौ सामाजिक पेंशन धारकों (छह सौ सामाजिक पेंशन धारकों) का प्राथमिक डेटा के लिए सर्वेक्षण और साक्षात्कार किया जाएगा प्रश्नावली, साक्षात्कार और केस स्टडी का उपयोग करना। आधारभूत वर्ष के रूप में 2020-2021 का उपयोग करके प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया था।

6.3.2 द्‌वितीयक स्रोत

माध्यमिक डेटा झारखंड में सरकारी एजेंसियों और प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से एकत्रित जानकारी के पूरक के लिए एनएसएपी से एकत्र किया जाएगा। इन एजेंसियों में सामाजिक सुरक्षा और पेंशन निदेशालय; झारखंड गजेटियर विभाग; योजना, कार्यक्रम निगरानी और सांख्यिकी विभाग; और ट्रेजरी विभाग। द्‌वितीयक स्रोतों में पुस्तकें, पत्रिकाएँ, नियमावली, सरकारी परिपत्र और कार्यालय ज्ञापन, शोध अध्ययन, फील्ड नोट्स, ऐतिहासिक अभिलेख, रिपोर्ट, जनगणना डेटा, हस्तपुस्तिकाएँ, पत्रिकाएँ, राजपत्र, ई-पुस्तकें, ई-पत्रिकाएँ, समाचार पत्र और शोध अध्ययन शामिल हैं। इन सभी संसाधनों ने शोध में गहराई और विस्तार जोड़ा।

6.3.3. सैंपल साइज

झारखंड में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन धारकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए नमूना आकार कई कारकों पर निर्भर करेगा जैसे अनुसंधान डिजाइन, वांछित सटीकता का स्तर, किए जाने वाले विश्लेषण का प्रकार और संसाधन डेटा संग्रह के लिए उपलब्ध है।

एक उपयुक्त नमूना आकार निर्धारित करने के लिए, शोधकर्ता को कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होगी जैसे जनसंख्या में परिवर्तनशीलता का स्तर, विश्वास और सटीकता का वांछित स्तर और उपयोग की जाने वाली नमूना विधि। आम तौर पर, एक बड़ा नमूना आकार जनसंख्या मापदंडों का अधिक सटीक अनुमान प्रदान करता है, लेकिन इसमें डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए अधिक संसाधनों और समय की भी आवश्यकता होती है।

कम से कम 400 से 500 प्रतिभागियों का एक नमूना आकार अक्सर मध्यम स्तर की सटीकता के साथ एक मजबूत समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। हालाँकि, अनुसंधान प्रश्नों, सटीकता के वांछित स्तर और उपयोग की गई नमूना विधि के आधार पर, नमूना आकार इस सीमा से बड़ा या छोटा हो सकता है।

6.3.4. शोध क्षेत्र

झारखंड में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन धारकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए अध्ययन क्षेत्र भारत में झारखंड राज्य होगा। झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है और विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ विविध आबादी का घर है। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का मिश्रण है और पेंशन धारकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), और राज्य सरकार पेंशन योजना सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की एक श्रृंखला है।

शोधकर्ता विकास के स्तर, शहरीकरण, या कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की व्यापकता जैसे कारकों के आधार पर झारखंड के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, शोधकर्ता रांची, जमशेदपुर, या धनबाद जैसे शहरी क्षेत्रों या राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र शोध प्रश्नों और अध्ययन के उद्देश्यों पर निर्भर करेगा।

6.4 डेटा विश्लेषण

SPSS सांख्यिकीय पैकेज का उपयोग अध्ययन के मात्रात्मक डेटा को इनपुट करने के लिए किया गया था। वेरिएबल विंडो में घोषित कुल 214 यूनिक वेरिएबल नाम होंगे। प्रत्येक चर नाम के लिए वर्णानुक्रमिक और संख्यात्मक कोड का उपयोग किया गया था। 600 उत्तरदाताओं की जानकारी डेटा विंडो में शामिल की जाएगी। मुख्य डेटा का विश्लेषण करने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी, आवृत्तियों, क्रॉस सारणीकरण और ची-स्क्वायर परीक्षण का उपयोग किया जाएगा। शोध में चित्रमय चित्रण भी शामिल थे।

6.5 अध्ययन की सीमाएँ

- झारखंड शहर में सामाजिक पेंशन धारक, जिनमें IGNOAP, DWP, और PH प्राप्त करने वाले शामिल हैं, इस शोध का प्राथमिक फोकस हैं।
- विकलांग बच्चे, जिनमें मानसिक रूप से मंद, बधिर, या मूक शामिल हैं, वर्तमान अध्ययन में शामिल नहीं हैं।
- 75% से कम अक्षमताओं वाले शोध प्रतिभागियों का सर्वेक्षण नहीं किया जाता है।

10. अपेक्षित परिणाम

झारखंड में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशन धारकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर समाजशास्त्रीय अध्ययन के अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं:

- झारखंड में पेंशन धारकों के बीच सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नामांकन और उपयोग को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक कारकों की पहचान।
- झारखंड में पेंशन धारकों के बीच वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और गरीबी कम करने में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन।
- नौकरशाही और प्रशासनिक बाधाओं, और जागरूकता और शिक्षा की कमी सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में पेंशन धारकों के सामने आने वाली चुनौतियों और बाधाओं की पहचान।
- जाति, लिंग और भौगोलिक स्थिति जैसे विभिन्न सामाजिक समूहों में पेंशन धारकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में अंतर की पहचान।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार करने और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में पेंशन धारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीति-निर्माताओं और सामाजिक सुरक्षा प्रशासकों के लिए सिफारिशें।
- भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर मौजूदा साहित्य में योगदान, विशेष रूप से झारखंड के संदर्भ में।

अध्ययन के निष्कर्ष झारखंड में सामाजिक सुरक्षा लाभ के प्रावधान में शामिल नीति निर्माताओं, सामाजिक सुरक्षा प्रशासकों और अन्य हितधारकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। यह अध्ययन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में पेंशन धारकों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है और भारत में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण पर चल रहे संवाद में योगदान कर सकता है।

संदर्भ

1. गोंजालेस, सारा और फर्नांडीज, जुआन। (2022)। दस यूरोपीय देशों में निजी पेंशन कार्यक्रमों में श्रमिकों की भागीदारी में सामाजिक-आर्थिक अंतराल। सामाजिक नीति का जर्नल। 1-33। 10.1017/S0047279422000897.
2. टैम्बोरिनी , क्रिस्टोफर और रेज़निक, गेल और आईम्स , हॉवर्ड एंड काउच, केनेथ। (2022)। आजीवन सामाजिक सुरक्षा सेवानिवृत्ति लाभ में बढ़ता सामाजिक आर्थिक अंतर: वर्तमान और भविष्य के सेवानिवृत्त। जेरोन्टोलॉजी सीरीज़ बी साइकोलॉजिकल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज के जर्नल। 77. 803-814। 10.1093/ गेरोनब / जीबीएबी201.
3. मोवोसी , फेबियन एंड चार्ल्स, ई एंड रोबिना, एम एंड ईटन, मारुस । (2022)। सेवानिवृत्ति योजना और पर जनसांख्यिकीय कारकों का प्रभाव। 10.38157/ एसएस.वी 4i2.465.
4. खान, आशमा और दहिया, मंजू। (2021)। हरियाणा में जराचिकित्सा द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/सुविधाओं के बारे में जागरूकता और उपयोग। 11. 13-18।
5. कुमार, पुष्पेंद्र और सिंह, दीपक। (2020)। गतिशीलता और दहलीज सामाजिक सुरक्षा। 10.1007/978-981-15-8265-3_20.
6. एलेस्केरोवा , यूलिया और सकोव्स्का , ओलेना और डिडेंको , यूलिया। (2020)। पेंशन बीमा के सार का विश्लेषण और जनसंख्या के सामाजिक संरक्षण की प्रणाली में इसका स्थान। आर्थिक अध्ययन के बाल्टिक जर्नल। 6. 9-16। 10.30525/2256-0742/2020-6-2-9-16.
7. गोस्वामी, श्वेता और सिंह, मिताशा और रंजन, प्रभात और ढाका, रोहित। (2020)। जिला फरीदाबाद, हरियाणा, भारत की बुजुर्ग आबादी द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जागरूकता और उपयोग। 8. 1-128। 10.53553/JCH.v08i01.006।

8. ओटेशोवा , अल्मागुल और प्रोदानोवा , नतालिया और नियाज़बायेवा , एगुल और सविना, नतालिया और दिकिख , वादिम। (2020)। आधुनिक समस्याएं और राज्य की सामाजिक नीति और जनसंख्या की सामाजिक सुरक्षा की प्रभावशीलता का आकलन। मानविकी और सामाजिक विज्ञान समीक्षा। 8. 1482-1493। 10.18510/एचएसएसआर.2020.84136।

9. दुर्गम , राजशेखर। (2020)। भारत में सामाजिक सुरक्षा: मुद्दे और चुनौतियाँ।

10. देवदासन , प्रदीप. (2018)। मंगलुरु में मछुआरा लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता पर एक अध्ययन । प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 34-46। 10.47992/आईजेएमटीएस.2581.6012.0054।

11. श्रीवास्तव, अशोक और कांडपाल , एस.डी. (2014)। बुजुर्गों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना और अन्य सरकारी लाभों के बारे में जागरूकता और उपयोग-देहरादून जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। 26. 382-387।

12. चोपड़ा, एस. एंड पुडुसेरी , जे.. (2014)। भारत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक आकलन। इकोन पोलिट Wkly। 49. 68-74.

13. हारिस, असमाड्डी और सैद, आर.. (2012)। जन पेंशन योजना में सामाजिक सुरक्षा धन एवं शीघ्र सेवानिवृत्ति। अर्थशास्त्र और प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 6. 346-359।

14. बिस्सोनेट, एल. एंड वैन सोएस्ट , आर्थर। (2012)। सेवानिवृत्ति और पेंशन प्रणाली का भविष्य: समय के साथ और सामाजिक-आर्थिक समूहों में जनता की अपेक्षाएँ कैसे बदलती हैं। 1. 10.1186/2193-9012-1-2।

15. गिनेकेन , वाउटर । (2009)। सामाजिक सुरक्षा और मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर वैश्विक सामाजिक आर्थिक तल । वैश्विक सामाजिक नीति। 9. 228-245। 10.1177/1468018109104627.

16.राव, माधव. (2005)। भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रशासन- भविष्य निधि और पैंशन योजना का अध्ययन। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ म्यूनिख, जर्मनी, एमपीआरए पेपर।